संख्या-744/2017/445/22-2-2017-17(115)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्यान सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी-जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक -28-10-2016 दिनांक 02-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कल्यान सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी-मोहम्मदगंज, थाना-मीरगंज, जनपद-बरेली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को **लेकर दिनांक 16-11-2002 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचों** से गोली मार कर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-389/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 201,148, 147 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (कोर्ट संख्या-2), बरेली द्वारा दिनांक 30-11-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं तथा 01 अन्य सहअभियुक्त अपनी सजा काट कर रिहा हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 13 वर्ष, 08 माह, 20 दिन की अपरिहार एवं 17 वर्ष, 07 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के अपराध से समाज के व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में पुन: अपराध कर सकने तथा परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रक्रति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी कल्यान सिंह (बन्दी संख्या-40985) पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी जनपद-बरेली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-744/2017/445(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in